उत्तराखण्ड शासन

पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

संख्या– /XXXVIII–1–20–09(10)/2004

देहरादून, दिनांकः 10 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–802 सा0का0नि0 1203(अ), दिनांक 26 सितम्बर 2017 के अंग्रेजी संस्करण, जिसे आगे अधिसूचना कहा गया है के प्रस्तर 5(1) में प्राविधानित है कि एतद्द्वारा केन्द्र सरकार, प्रत्येक राज्य में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करती है, के क्रम में वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–757(1)/X–3–18–09(10)2004, दिनांक 16.10.2019 द्वारा गठित "उत्तराखण्ड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण" के प्रस्तर–4 में उल्लिखित व्यवस्था को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.10.2019 के प्रस्तर–4 में उल्लिखित व्यवस्था	एतद्द्वारा संशोधित
राज्य सरकार का अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वैटलैण्ड प्रबन्धन "राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण" के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कार्य करेगा।	निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड "राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण" के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कार्य करेगा।

2– उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या–757(1)/X–3–18–09(10)2004, दिनांक 16.10.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1131 (1)/ XXXVIII–1–20–09(10)/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. नामित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/सदस्य सचिव, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
6. शासकीय पोर्टल।
7. गार्ड फाईल।

10/11/20

(नेहा वर्मा)
अपर सचिव।

PPS

D:\2020\Karyalay Gyap